पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति लीटर उत्पादन लागत

*327. **श्री अनन्त राम जायसवाल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिट्टी के तेल, रसोई गैस, हाईस्पीड डीजल और पैट्रोल की प्रति लीटर उत्पादन लागत कितनी-कितनी है और इनमें से प्रत्येक वस्तु पर कौन-कौन से कर/शुल्क लगाए गए हैं, तथा उनकी प्रति लीटर दर कितनी-कितनी है;

(ख) उपर्युत भाग (क) में उल्लिखित वस्तुओं से प्रत्येक दिल्ली और लखनऊ में इस समय उपभोक्ताओं को किस-किस मूल्य पर उपलब्ध है;

(ग) खाड़ी अधिभार लगाये जाने से पूर्व तथा हाल की मूल्य-वृद्धि से पहले प्रश्नाधीन स्थानों पर अलग-अलग से उक्त वस्तुओं की उत्पादन लागत, उन पर लगने वाले कर/शुल्क और उनके उपभोक्ता मूल्य क्या थे;

(घ) खाड़ी युद्ध से लेकर 31 अक्तूबर, 1992 तक पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई और उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक बार अतिरिक्त राजस्व के रूप में कितनी धनराशि की प्राप्ति हुई; और

(ङ) क्या सरकार उपर्युक्त वस्तुओं पर राज सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित वस्तुओं में से प्रत्येक पर प्रति लीटर कितनी राज-सहायता प्रदान की जाती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द): (क) से (ग) मिट्टी के तेल, एल०पी०जी०, एच एस डी और पेट्रोल की उत्पादन लागत विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है जैसे-कच्चे तेल की लागत, शोधन की लागत आदि। इसके अतिरिक्त, विन्यास, संसाधित क्रूड के प्रकार और लगाई गई पूंजी के आधार पर अलग-अलग रिफाइनरियों में लागतें भी अलग-अलग हैं।

खाड़ी अधिभार लगाने से पूर्व उत्पाद शुल्क की दरें दिनांक 16.9.1992 से पूर्व और 16.9.1992 से निम्नलिखित हैं:—

(1) मिट्टी का तेल (घरेलू)	330.44 रुपए/किलो लि०
(2) एल०पी०जी० (घरेलू)	खाड़ी अधिभार से पूर्व 273.00 रु०/मी० टन और 16.9.1992 से पूर्व तथा 16.9.1992 से 286.00 रु०/मी० टन०
(3) एच०एस०डी	347.49 रु०/कि०ली०
(4) एम०एस—87	खाड़ी अधिभार से पूर्व 2327.50 रु०/कि०लि० और 16.9.1992 से पूर्व तथा 16.9.1992 से 2438.33 रुपये/कि०लि०

इसके अतिरिक्त, स्थानीय उप-कर जो लागू है।

खाड़ी अधिभार लगाने से पूर्व 16.9.1992 से पूर्व तथा 16.9.1992 से दिल्ली और लखनऊ में इन पदार्थों की कीमतें, जिसमें सभी कर और शुल्क शामिल हैं, निम्नलिखित हैं:

उत्पाद का नाम	दिल्ली			लखनऊ		
	खाड़ी अधिभार से पूर्व	16.9.1992 से पूर्व	16.9.1992 से	खाड़ी अधिभार से पूर्व	16.9.1992 से पूर्व	16.9.1992 से
मिट्टी का तेल (घरेलू) रु०/लीटर	2.25	2.52	2.52	2.55	2.82	2.82
एलपीजी (घरेलू) रु०/सिलेण्डर 14.2 कि० ग्राम का	57.60	67.90	82.75	61.70	72.05	87.65

(आंकड़े रुपये में)

उत्पाद का नाम	खाड़ी अधिभार से पूर्व	दिल्ली 16.9.1992 से पूर्व	16.9.1992 से	खाड़ी अधिभार से पूर्व	लखनऊ 16.9.1992 से पूर्व	16.9.1992 से
एचएसडी रु०/लीटर	4.08	5.05	6.11	4.48	5.47	6.58
एमएस—87 रु०/लीटर	9.84	14.64	15.71	10.35	15.30	16.39

(घ) खाड़ी युद्ध के उपरान्त, अतिरिक्त वार्षिक सृजन दो बार क्रमशः 2300 करोड़ रुपए और 6200 करोड़ रुपये रहा।

(ङ) यद्यपि पेट्रोल और डीजल पर कोई आर्थिक सहायता नहीं है, तथापि, घरेलू प्रयोग के लिए एसकेओ की आर्थिक सहायता लगभग 2.79 रुपये प्रति लीटर और एलपीजी के सिलेण्डर पर आर्थिक सहायता 68 रुपए प्रति सिलेण्डर है।

Maintenance of National Highway in Bihar

*328. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the funds allocated to Bihar for maintenance of National Highways passing through the State are inadequate;

(b) whether it is also a fact that the State Government is not fully utilising the above fund; and

(c) if so, what action Government propose to take to maintain the highways which are not only important from the transport point of view but also important from national security point of view?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) Yes, Sir. Due to constraints of resources, present allocation of funds for maintenance of National Highways is running short of the requirements based on approved norms for all States/Union Territories including Bihar. The position regarding allotment for and expenditure on maintenance of National Highways in Bihar during the last three years is as under:—

(Rs. in lakhs)

Year	Allotment	Expenditure
1989-90	981.90	974.75
1990-91	1148.83	1147.50
1991-92	1012.30	1089.73

Maintenance allocations to various States for National Highways are increased from year to year depending on the availability of funds.

Medical Facilities in East Delhi

*329. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that East Delhi has lesser medical facilities as compared to the rest of the city;

(b) if so, what is the population density and the relative availability of health facilities like beds, doctors, hospitals as compared to other parts of the city; and

(c) what is the comparative morbidity pattern, incidence of communicable diseases and water supplies and hygiene in comparison to the rest of the city?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI M.L. FOTEDAR): (a) and (b) As reported by